रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2157] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2016/भाद्र 11, 1938
No. 2157] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2016/ BHADRA 11 , 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2016

(आय-कर)

का.आ. 2853(अ).—जबकि, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन से हुई आय पर दोहरे कराधान के परिहार पर भारत गणराज्य की सरकार तथा मालदीव्स गणराज्य की सरकार के बीच एक करार (जिसे इसके बाद कथित करार कहा गया है) पर नई दिल्ली में 11 अप्रैल, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दिया गया है;

और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, उक्त करार 1 अगस्त, 2016 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने संबंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना के माह के बाद दूसरे माह का पहला दिन है;

और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 3 के खंड (i) में प्रावधान है कि उक्त करार के उपबंध, भारत में, उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें वह करार प्रवृत्त हुआ है, उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में लागू होंगे;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न उपर्युक्त अनुबंध के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन से हुई आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

मालदीव्स गणराज्य की सरकार

के बीच करार।

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन से हुई आय पर दोहरे कराधान के परिहार पर एक करार करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मालदीव्स गणराज्य की सरकार इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

शामिल कर

1. यह करार प्रत्येक संविदाकारी राज्य द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।

2. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे हैं:

क) भारत के मामले में आयकर, उस पर लगे किसी अधिभार सहित; (इसके बाद इसे ''भारतीय कर'' कहा जाएगा);

ख) मालदीव्स के मामले में, कारोबार लाभ कर अधिनियम (कानून संख्या 5/2011) के तहत अधिरोपित कारोबार लाभ कर (इसके बाद इसे ''मालदीव्स का कर'' कहा गया है);

3. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए ऐसे ही अथवा काफी हद तक इसी प्रकार के करों पर भी लागू होगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे, जो उनके अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

अनुच्छेद 2

परिभाषाएं

1. इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

क) ''भारत'' शब्द से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

ख) ''मालदीव्स'' शब्द से अभिप्रेत है - मालदीव्स का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र, महाद्वीपीय शेल्फ, समुद्र तल, उपमृदा (और उसके प्राकृतिक संसाधन) और वायुमंडलीय क्षेत्र सहित कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिसपर मालदीव्स के कानून तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार मालदीव्स के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

ग) ''एक संविदाकारी राज्य'' तथा ''दूसरा संविदाकारी राज्य'' शब्दों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत गणराज्य अथवा मालदीव्स गणराज्य है;

घ) ''कर'' शब्द से संदर्भ के अनुसार "भारतीय कर" अथवा "मालदीव्स के कर" अभिप्रेत हैं;

ड.) "किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम" शब्द का अर्थ उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा हवाई सेवाओं के संबंध में दिनांक 24 दिसंबर, 2008 के भारत गणराज्य की सरकार तथा मालदीव्स गणराज्य की सरकार के बीच करार, समय-समय पर यथा-संशोधित, के अनुसरण में नामित कोई एयरलाइन है।

च) ''अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात'' शब्द से किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा परिचालित किसी वायुयान द्वारा परिवहन अभिप्रेत है, सिवाय उस स्थिति के, जब वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

छ) ''वायुयान का प्रचालन'' शब्द से अभिप्राय किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल के वायुमार्ग द्वारा परिवहन के कारोबार से है, जिसमें ऐसे परिवहन के लिए टिकटों या समान प्रलेखों की ब्रिकी शामिल है;

ज) ''सक्षम प्राधिकारी'' शब्द से अभिप्रेत है:

(i) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ii) मालदीव्स के मामले में, मालदीव्स अंतर्देशीय राजस्व प्राधिकारी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि;

2. इस करार के प्रावधानों के किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्रयोग में, किसी ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हुआ है लेकिन इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, उसका वही अर्थ होगा जो उस राज्य में करों, जो इस करार के अध्ययीन हैं, से संबंधित कानूनों में उसका अर्थ है।

अनुच्छेद 3

दोहरे कराधान का परिहार

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाली आय दूसरे संविदाकारी राज्य में छूट प्राप्त होगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त एयरलाइन कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भागीदारी से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय वायु यातायात में वायुयान के प्रचालन से सीधे संबद्ध निधियों पर ब्याज को ऐसे वायुयान के प्रचालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा ।

अनुच्छेद 4

अवशिष्ट प्रावधान

दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के मूल्यांकन और कराधान को अधिशासित करते रहेंगे, सिवाय उस स्थिति के, जहां इस करार में स्पष्टत: विपरीत प्रावधान किया गया हो।

अनुच्छेद 5

पारस्परिक करार की विधि

1. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाईयां अथवा शंकाएं हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा परामर्श का अनुरोध किया जा सकता है। ऐसा परामर्श दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे किसी अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर प्रारंभ होगा।

3. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सहमति पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत कर सकते हैं ।

अनुच्छेद 6

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं की निवृत्ति के सम्बंध में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. यह करार दी गयी दोनों अधिसूचनाओं में से इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में संदर्भित बाद की अधिसूचना दिए जाने की तिथि के दूसरे माह के प्रथम दिन से लागू होगा।

3. इस करार के उपबंधों का निम्नानुसार प्रभाव होगा :

(i) भारत में, जिस कैलेन्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेन्डर वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में; और

(ii) मालदीव्स में, जिस कैलेन्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेन्डर वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में।

अनुच्छेद 7

समापन

यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि कोई एक संविदाकारी राज्य इसे समाप्त नहीं कर देता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

क) भारत में, जिस कैलेन्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई आय के संबंध में;

ख) मालदीव्स में, जिस कैलेन्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया गया था, उसके बाद के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में तारीख 11 अप्रैल, 2016 को अंग्रेजी और हिन्दी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की	मालदीव्स गणराज्य की
सरकार की ओर से:	सरकार की ओर से:
(अतुलेश जिंदल)	(अहमद मोहम्मद)
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	भारत में मालदीव गणराज्य के उच्चायुक्त

[अधिसूचना सं. 77/2016/ फा. सं. 503/4/2013-SO/एफटी&टीआर-II(1)]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव